न्यायालय जिला कलक्टर, बांसवाड़ा (राज.)

पीठासीन अधिकारी – प्रकाश चन्द्र शर्मा, IAS

जिला कलक्टर, बांसवाड़ा
प्रकरण संख्या : 08/2022
जीसीएमएस नं. :2022/66

प्रार्थीपक्ष :–

1. थानाधिकारी,
   पुलिस थाना कलिंजरा,
   जिला बांसवाड़ा।
2. श्री धर्मेन्द्र कुमार रोत,
   प्रवर्तन निरीक्षक, बागीदौरा

बनाम

अप्रार्थी :–

श्री रविन्द्र सिंह झाला पिता श्री तेजसिंह झाला व्यवस्थापक लेम्पस बालावाडा जिला बॉसवाडा

उपस्थित

थानाधिकारी पुलिस थाना कलिंजरा
प्रवर्तन अधिकारी–विभागीय प्रतिनिधि

श्री दिनेश पुरी –अभिभाषक (अप्रार्थी)

निर्णय

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 6 (ए)

दिनांक :– 21–10–2022

संक्षेप मे प्रकरण इस प्रकार है कि थानाधिकारी, पुलिस थाना कलिंजरा द्वारा इस आशय का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया कि श्री धर्मेन्द्र कुमार रोत प्रवर्तन निरीक्षक बागीदौरा द्वारा श्री रविन्द्र सिंह झाला पिता श्री तेजसिंह झाला व्यवस्थापक लेम्पस बालावाडा भाग प्रथम के विरुद्ध शिकायत की जॉच दिनांक 16–03–2022 को की गई। मौके पर दुकान बंद पायी गई। मोबाईल पर सम्पर्क करने पर मोबाईल भी बंद पाया गया इसी दौरान गोदाम पर मांगीलाल पिता विठला पोस मशिन सं. 11964 लेकर उपस्थित हुआ। पोस मशिन की जॉच करने पर पोस मशिन में दर्ज स्टॉक का विवरण इस प्रकार पाया गया – गेहु बीपीएल/स्टेट बीपीएल/ अंत्योदय/ एपीएल नियमित = 61[illegible] गेहु अतिरिक्त = 5981, चीनी – 386 कि.ग्रा, केरोसिन– 9.25 [illegible] पोस मशिन [illegible] स्टोक के भौतिक सत्यापन हेतु

Signature Not Verified
Digitally signed by Prakash Chandra Sharma
Date: 2023.01.11 10:05:02 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
बांसवाड़ा (राज.)

Scanned by CamScanner

गोदाम की जॉच करने पर डीलर द्वारा 21660 किलोग्राम गेहू, 386 किलोग्राम चीनी, एवं 9.25 लीटर केरोसिन खुर्द-बुर्द किया जाना पाया। गेहूँ, शक्कर, केरासिन के गबन एवं दुरूपयोग करने के कारण आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत एफआईआर संख्या 0072 दिनांक 31.03.2022 दर्ज करवायी गयी । इस संबंध में पुलिस द्वारा किए गए अनुसंधान में रविन्द्र सिंह ने लेम्पस गोदाम से 430 कट्टो में गेहु, 7 पुरे भरे एवं 1 आधे कट्टे में चीनी बरामद करवाये। मौके पर लेम्पस गोदाम में रखे इलेक्ट्रॉनिक कांटे से मोतबिरान व वर्तमान राशन डीलर शान्तु / दीपा के समक्ष गेहु एवं चीनी का तौल करने पर 430 कट्टो में 21660 किलोग्राम गेहू, 7 पूरे भरे एवं 1 आधे भरे कट्टै में चीनी 386 किलोग्राम पाए गए। मौके पर पाए गए 21660 कि.ग्रा गेहु एवं 386 किग्रा. चीनी को वजह सबुत जप्त किया जाकर उसी गोदाम में रखा जाकर मोतबिरान के समक्ष अधिकृत ग्राम पंचायत पिन्डारमा के डीलर शान्तु पिता दीपा को सुरक्षार्थ अस्थायी रूप से सुपूर्दगी में दिया गया।

थानाधिकारी कलिंजरा ने आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6–A में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि उक्त 430 कट्टो में 21660 किलोग्राम गेहू, 7 पूरे भरे एवं 1 आधे भरे कट्टै में चीनी 386 किलोग्राम राजसात करने के आदेश जारी करावे। साथ ही उक्त गेहूँ एवं चीनी शीघ्र ही खराब होने वाली वस्तु है। इस कारण इनका अंतरिम निस्तारण करने के निर्देश प्रदान करावें।

इस पर दिनांक 27–09–2022 को प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को सम्मन जारी किया गया।

दिनांक 12–10–2022 को अप्रार्थी की ओर से अभिभाषक श्री दिनेश पुरी द्वारा वकील पत्र एवं प्रकरण में जवाब प्रस्तुत किया गया जिसमें उल्लेख किया गया कि बरामदशुदा 21660 किग्रा (216.60 क्वि.) गेहु व 386 किग्रा. शक्कर लेम्पस के स्वीकृत गोदाम में नही रखा था, क्योंकि लेम्पस का गौदाम गॉव के बीचो बीच था और होली का त्योहार होने के कारण चोरी का डर होने से दूसरे गोदाम में रखा गया। उक्त गेहु एवं शक्कर का अप्रार्थी द्वारा कोई दुरुपयोग नही किया गया है तथा कोई गलत मंशा इंटेन्शन नहीं रहा है। घटना के समय अप्रार्थी उपस्थित नही था। डीलर परिसर पर जो कर्मचारी रखा था उसने स्वीकृत

Signature Not Verified
Digitally signed by Prakash Chandra Sharma
Date: 2023.01.11 10:05:02 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
बांसवाड़ा (राज.)

Scanned by CamScanner

गोदाम खोलकर बताया जहॉ माल नही था लेकिन वह दुसरे गोदाम में रखा था, बाद में पुरा माल स्वीकृत गोदाम में लाकर रख दिया जो पुलिस ने बरामद किया है। गेहु व शक्कर सही हालत में पूर्णरुप से लेम्पस के गोदाम में पाये गये है, लेकिन राजनैतिक द्वेषता के कारण उल्टी सीधी शिकायत पर पुलिस थाना कलिंजरा द्वारा माल को जप्त कर अप्रार्थी के विरुद्ध झुठा मामला दर्ज किया गया तथा गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया जहॉ अप्रार्थी को जमानत प्रदान की जा चुकी है। दर्ज प्रकरण में अनुसंधान जारी है न्यायालय द्वारा कोई आरोप साबित नही हुए है। बरामद वस्तुए लेम्पस की है और लेम्पस द्वारा ही वितरित की जावेगी इस कारण राजसात नही की जा सकती। प्रार्थी को बहाल कर नियमानुसार आदेश पारित करावे।

दिनांक 12.10.2022 को प्रर्वतन निरीक्षक एवं अप्रार्थी के अधिवक्ता की ओर से प्रस्तुत बहस सुनी गयी।

प्रवर्तन निरीक्षक ने कथन किया कि श्री रविन्द्र सिंह झाला पिता श्री तेजसिंह झाला व्यवस्थापक लेम्पस बालावाडा भाग प्रथम के विरुद्ध शिकायत की जॉच दिनांक 16–03–2022 को की गई। मौके पर दुकान बंद पायी गई। मोबाईल पर सम्पर्क करने पर मोबाईल भी बंद पाया गया इसी दौरान गोदाम पर मांगीलाल पिता विठला पोस मशिन सं. 11964 लेकर उपस्थित हुआ। पोस मशिन की जॉच करने पर पोस मशिन में दर्ज स्टॉक का विवरण इस प्रकार पाया गया – गेहु बीपीएल/स्टेट बीपीएल/ अंत्योदय/ एपीएल नियमित = 6122 कि.ग्रा, गेहु अतिरिक्त = 5981, चीनी – 386 कि.ग्रा, केरोसिन– 9.25 लीटर। पोस मशिन में दर्ज स्टोक के भौतिक सत्यापन हेतु गोदाम की जॉच करने पर डीलर द्वारा 21660 किलोग्राम गेहू, 386 किलोग्राम चीनी, एवं 9.25 लीटर केरोसिन खूर्द–बूर्द किया जाना पाया। गेहूँ, शक्कर, केरासिन के गबन एवं दुरूपयोग करने के कारण आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत एफआईआर संख्या 0072 दिनांक 31.03.2022 दर्ज करवायी गयी। पुलिस अनुसंधान में भी 430 कट्टो में 21660 किलोग्राम गेहू, 7 पूरे भरे एवं 1 आधे भरे कट्टै में चीनी 386 किलोग्राम पाए गए है। उक्त गेहू [illegible] शीघ्र ही खराब होने वाली वस्तु है। इस कारण इनका अंतरिम निस्तारण करने के आदेश [illegible] करावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Prakash Chandra Sharma
Date: 2023.01.11 10:05:02 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर
बांसवाड़ा (राज.)

Scanned by CamScanner

अप्रार्थी के अधिवक्ता ने अपने जवाब में लिखित तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि बरामदशुदा 21660 किग्रा (216.60 क्वि.) गेहु व 386 किग्रा. शक्कर लेम्पस के स्वीकृत गोदाम में नही रखा था, क्योंकि लेम्पस का गौदाम गॉव के बीचो बीच था और होली का त्योहार होने के कारण चोरी का डर होने से दुसरे गोदाम में रखा था। उक्त गेहु एवं शक्कर का अप्रार्थी द्वारा कोई दुरुपयोग नही किया गया है, तथा कोई मेलाफाईड इन्टेन्शन नही रहा है। घटना के समय अप्रार्थी उपस्थित नही था। डेली बेसेज पर जो कर्मचारी रखा था उसने स्वीकृत गोदाम खोलकर बताया जहॉ माल नही था लेकिन वह दुसरे गोदाम में रखा था, बाद में पुरा माल स्वीकृत गोदाम में लाकर रख दिया जो पुलिस ने बरामद किया है। गेहु व शक्कर सही हालत में पूर्णरुप से लेम्पस के गोदाम में पाये गये है, लेकिन राजनैतिक द्वेषता के कारण उल्टी सीधी शिकायत पर पुलिस थाना कलिंजरा द्वारा माल को जप्त कर अप्रार्थी के विरुद्ध झुठा मामला दर्ज किया गया तथा गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया जहॉ अप्रार्थी को जमानत प्रदान की जा चुकी है। दर्ज प्रकरण में अनुसंधान जारी है न्यायालय द्वारा कोई आरोप साबित नही हुए है। बरामद वस्तुए लेम्पस की है और लेम्पस द्वारा ही वितरित की जावेगी इस कारण राजसात नही की जा सकती। प्रार्थी को बहाल कर नियमानुसार आदेश पारित करावे।

थानाधिकारी कलिंजरा की ड्यूटी महामहिम राज्यपाल राजस्थान सरकार में होने से उनकी बहस रिजर्व रखी गई।

रिजर्व रखी गई बहस पर दिनांक 21.10.2022 को थानाधिकारी पुलिस थाना कलिंजरा ने उपस्थित होकर अपनी बहस प्रस्तुत करते हुए कथन किया कि प्रवर्तन निरीक्षक बागीदौरा की लिखित रिपोर्ट बाबत् गेहूँ, शक्कर, केरासिन के गबन एवं दुरूपयोग करने के कारण आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत एफआईआर संख्या 0072 दिनांक 31.03.2022 दर्ज करवायी गयी थी। इस संबंध में पुलिस द्वारा किए गए अनुसंधान में रविन्द्र सिंह ने लेम्पस गोदाम से 430 कट्टो में गेहु, 7 पुरे भरे एवं 1 आधे कट्टे में चीनी बरामद करवाये। मौके पर लेम्पस गोदाम में रखे इलेक्[illegible] से मोतबिरान व वर्तमान राशन डीलर शान्तु / दीपा के समक्ष [illegible] चीनी का तो[illegible]ने पर 430 कट्टो में 21660

Signature Not Verified
Digitally signed by Prakash Chandra Sharma
Date: 2023.01.11 10:05:02 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
बांसवाड़ा (राज.)

Scanned by CamScanner

किलोग्राम गेहू, 7 पूरे भरे एवं 1 आधे भरे कट्टे में चीनी 386 किलोग्राम पाए गए। मौके पर पाए गए 21660 कि.ग्रा गेहु एवं 386 किग्रा. चीनी को वजह सबुत ज़प्त किया जाकर उसी गोदाम में रखा जाकर मोतबिरान के समक्ष अधिकृत ग्राम पंचायत पिन्डारमा के डीलर शान्तु पिता दीपा को सुरक्षार्थ अस्थायी रुप से सुपूर्दगी में दिया गया। उक्त जप्तशुदा गेहूँ एवं चीनी शीघ्र ही खराब होने वाली वस्तु है। इस कारण इनका अंतरिम निस्तारण करने के आदेश प्रदान करावें।

हमने पत्रावली का गहनता से अध्ययन किया तथा पत्रावली पर प्रस्तुत अभिलेखों का अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि श्री रविन्द्र सिंह झाला पिता श्री तेजसिंह झाला व्यवस्थापक लेम्पस बालावाडा भाग प्रथम द्वारा 21660 किलोग्राम (216.60 क्वि.) गेहूं, 386 किलोग्राम शक्कर खुर्दबुर्द करना प्रतीत होने पर प्रथम सूचना दर्ज करवाई गई। पुलिस के कथन अनुसार दौराने अनुसंधान अप्रार्थी से लेम्पस बालावाडा के गौदाम से 21660 किलोग्राम (216.60 क्वि.) गेहूं, 386 किलोग्राम शक्कर जब्त की गई हैं।

अतः थानाधिकारी पुलिस थाना कलिंजरा द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अंतर्गत धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 स्वीकार किया जाकर प्रकरण में जब्तशुदा 430 कट्टो में 21660 (216.60 क्वि.) किलोग्राम गेहू, 7 पूरे भरे एवं 1 आधे भरे कट्टै में 386 किलोग्राम चीनी को राजसात करने के आदेश दिए जाते हैं। जिला रसद अधिकारी, बांसवाड़ा को निर्देशित किया जाता है कि उक्त जब्तशुदा गेहूं एवं चीनी का नियमानुसार योजनावार उपभोक्ताओ में वितरण कर प्राप्त राशि को राजकोष मे जमा करावे। निर्णय की प्रति जिला रसद अधिकारी बांसवाड़ा एवं थानाधिकारी पुलिस थाना कलिंजरा को पालनार्थ भेजी जावे।

निर्णय आज दिनांक 21.10.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(प्रकाश चन्द्र शर्मा)
जिला कलक्टर
बांसवाडा

कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट बांसवाड़ा (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Prakash Chandra Sharma
Date: 2023.01.11 10:05:02 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner